



# लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक: - अधिशाषी अभियन्ता,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

सेवा में,  
सचिव,  
आर्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ  
टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट,  
औरंगाबाद खालसा, लखनऊ

संख्या: 5107/14/AE/07

नत्थी 114-AC-07

दिनांक 05/10/2007

विषय


आर्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ का भू-उपयोग प्रमाण-पत्र

सेवा में,  
सचिव,  
आर्यवर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट,  
औरंगाबाद खालसा, सामने अम्बेडकर विश्वविद्यालय,  
शहीद पथ, लखनऊ।

विषय: भूमि-उपयोग प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -5107/4/AITM/7 दिनांक: 05.10.2007 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपकी भूमि, आराजी खसरा संख्या 1598क रकबा 0.5940 हे०, खसरा संख्या 1284 रकबा 0.1250 हे० व खसरा संख्या 1285 रकबा 0.3410 व खसरा संख्या 1561क रकबा 1.3150 हे० व खसरा संख्या 1598 रकबा 1.100 हे०, 1584ख रकबा 0.10.1 हे०, 1584क रकबा 1.986 हे० को श्रीमान् आयुक्त लखनऊ मण्डल द्वारा पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2006 द्वारा कृषि बागवानी या पशुपालन से असम्बद्ध करते हुए शैक्षिक उपयोग में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी थी अतः आपकी भूमि को कृषि बागवानी या पशुपालन से असम्बद्ध करते हुए शैक्षिक उपयोग में प्रयोग करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय

  
अधिशाषी अभियन्ता  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

